प्रेस नोट दिनांक 23.03.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

अवैध संबंध, सुनियोजित साजिश के चलते हत्या का सनसनीखेज खुलासा, मुख्य अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा अवैध संबंध के चलते हुई हत्या के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित अभियोग की मुख्य अभियुक्ता सुमन देवी को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बगियापुर लेहरा के पास से विधिवत गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता पर आवेदक निवासी ग्राम मिसिरपुर मुस्तर्का थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना मान्धाता पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पिता दिनांक 18.03.2026 को मोटरसाइकिल से प्रयागराज जाने हेतु घर से निकले थे, परन्तु वापस नहीं लौटे। इस संबंध में दिनांक 20.03.2026 को थाना स्थानीय गुमशुदगी दर्ज की गई थी। तत्पश्चात खोजबीन एवं प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपिता सुमन देवी द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वादी के पिता को अपने मायके ग्राम बगियापुर थाना जेठवारा बुलाकर एकराय होकर हत्या कर दी गई तथा शव को बोरे में भरकर सहायक शारदा नहर में फेंक दिया गया। दिनांक 22.03.2026 को उक्त शव बरामद होने पर परिजनों द्वारा शिनाख्त की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मान्धाता पर मु0अ0सं0 28/2026 धारा 103(1)/3(5)/238(क) बीएनएस बनाम 1. सुमन देवी पत्नी अनिल कुमार निवासी मिसिरपुर मुस्तर्का थाना मान्धाता, 2. अतुल गौतम पुत्र राजाराम गौतम, 3. अरुण गौतम पुत्र रामआसरे निवासीगण ग्राम बगियापुर लेहरा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

सूचना प्राप्त होते ही उच्चाधिकारीगण द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट, स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही विधिवत की गई।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल से प्राप्त भौतिक साक्ष्यों, तकनीकी विश्लेषण एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर अभियुक्तों की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी हेतु सतत एवं प्रभावी प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय

प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 अनूप यादव, का0 आनन्द यादव, म0का0 अखलेश, म0का0 कोमल राठौर मय चालक हे0का0 रतन लाल त्रिपाठी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 28/2026 धारा 103(1)/3(5)/238(क) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्ता, सुमन देवी पत्नी अनिल कुमार निवासी ग्राम मिश्रपुर मुस्तर्का थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 35 वर्ष को को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत बगियापुर लेहरा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता के कब्जे से आलाकत्ल रक्त रंजित 01 अदद लोहे की पाईप, घटना मे प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल स्पेलेण्डर, 01 अदद आरेंज कलर की चुनरी, 01 अदद मोबाईल रेडमी बरामद किया गया। बरामद मोटरसाइकिल को धारा 207 एमबी एक्ट में सीज किया गया।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्ता सुमन देवी ने बताया गया कि मेरी शादी सन 2006 मे निवासी ग्राम मिश्रपुर मुस्तर्का थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ के साथ हुयी थी। मै अपने घर पर राजी खुशी रह रही थी सन 2023 मे घर पर जमीनी विवाद का सुलह पूर्व प्रधान मृतक आकर कराये थे। तभी मेरा मो0न0 लिया था फिर हम लोगो की बात चीत शुरू हो गयी जनवरी 2024 मे हम लोगो के बीच संबन्ध बने थे बाद मे मैने मृतक से मिलने से इंकार कर दिया। मु ृतक ने मुझे ब्लैक मेल किया कि मैने तुमसे बात चीत की रिकार्डिंग कर लिया है। अगर तुम मुझसे नही मिलोगी तो सारी बाते तुम्हारे पति को बता दूंगा और तुम्हारे बच्चो को भी गायब करवा दूंगा। मैने अपना सिम उससे बचने के लिए तोड दिया लेकिन उसने मुझसे बात करने के लिए दूसरा सिम लाकर जबरदस्ती दिया था और उसी सिम से मुझसे बात करता था। दिनांक 17.03.2026 को मै अपने बच्चो के साथ अपने मायके ग्राम बगियापुर लेहरा थाना जेठवारा आयी। घर पर मेरा छोटा भाई मौजूद था। मैने सारी बाते अपने छोटे भाई अतुल को बताया फिर हम दोनो ने मिलकर प्लान बनाया और दिनांक 18.03.2026 को गुलहसन उर्फ मुन्ना को अपने मायके वाले घर बगियापुर लेहरा थाना जेठवारा बुलाया था मृतक रात मे मेरे मायके पहुचाँ मेरे मायके वाले खाना पीना खाकर सो गये थे। मेरा भाई अतुल रास्ते मे गुलहसन उर्फ मुन्ना को आते हुए देखा था। मै गुलहसन को अपने साथ कमरे मे ले गयी और खाना खिलाया गुलहसन ने बताया कि मै तुमसे मिलकर प्रयागराज चला जाऊगाँ परन्तु मेरे कहने पर मेरे यहा खा पीकर सो गया। जब सो गया तो मै उठकर अपने भाई अतुल को बुलाकर लायी और घर मे पडे लोहे की पाईप से मृचत के सर पर जोर से मारा तो वह चिल्लाया लेकिन तुरन्त ही उसके गले पर वार किया तो वह चुप हो गया। फिर उसे मार-मार कर मार डाला अपने भाई अतुल व भाई के दोस्त अरुण की मदद से गुलहसन के शव को रस्सी से बाध कर पीली बोरी मे भरकर दुपट्टे के किनारे को फाड़ कर उससे बोरी का मुँह बाध दिया और गुलहसन की ही गाडी पर लादकर ले जाने लगे परन्तु मृतक के गाडी मे हेड लाईट नही जल रही थी। जिसके बाद अपने घर की स्पलेण्डर बाईक पर भाई व अरूण की मदद से लाद कर मेरा भाई बाइक चला रहा था बोरी को बीच मे रखकर मै पीछे बैठ गयी और अरूण मृतक की बाईक लेकर

पीछे पीछे चल रहा था कि हम लोग उमरिया बादल गेंदा के सारदा सहायक नहर पुलिया पर रखकर पानी मे फेक दिया और उसका मोबाईल व हेल्मेट भी उसी नहर के पानी मे फेक दिया। फिर वहा से मै अपनी मोबाईल रेडमी की जिससे सिम निकालकर दांत से कुचकर झाडी मे फेक दिया और मोबाईल भी वही सडक के किनारे झाडियो मे फेक दी थी। मेरा भाई अतुल और अरूण मृतक की बाईक को ले जाकर कही छोड़ दिये थे। मै मृतक से परेशान होकर उसको मार दी और बचने के लिए लाश मोबाईल हेलमेट सब नहर मे फेक दिया था। आप कहेगें तो पाईप लोहे की व मोटरसाईकिल तथा चुनरी आरेंज कलर जिससे मै फाडकर बोरी का मुह बाधी थी। घर पर कमरे मे रखी हूँ और मोबाईल जहा पर लाश को फेका था वहा से थोड़ी दूर पर ही मोबाईल फेकी हूँ चलकर दिखा सकती हूँ। अभियुक्ता की निशानदेही से बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

01. सुमन देवी पत्नी अनिल कुमार निवासी ग्राम मिश्रपुर मुस्तर्का थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 35 वर्ष ।

बरामदगी-

आलाकत्ल रक्त रंजित 01 अदद लोहे की पाईप, घटना मे प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल स्पेलेण्डर, 01 अदद आरेंज कलर की चुनरी, 01 अदद मोबाईल रेडमी बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 अनूप यादव, का0 आनन्द यादव, म0का0 अखलेश, म0का0 कोमल राठौर मय चालक हे0का0 रतन लाल त्रिपाठी थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा कुल 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में-

थाना दिलीपपुर के उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराह का0 आशीष कुमार, कां0 सुनील कुमार व कां० लक्ष्मण सिंह द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या मु0नं0 17918/2021 बनाम संजय सिंह आदि धारा 323/504/506 भादवि थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01

वारंटी अभियुक्त रामपियारे पुत्र रामनिहोर निवासी ग्राम याहियापुर उम्र करीब 60 वर्ष थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना दिलीपपुर के उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराह का आशीष कुमार,कां0 सुनील कुमार व कां0 लक्ष्मण द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या मु0अ0सं0 279/2011 धारा 41/411 भादवि व मु0अ0सं0 280/2011 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त अमर सिंह उर्फ भुन्नी पुत्र बृजलाल सिंह निवासी ग्राम चौपई उम्र करीब 37 वर्ष थाना कन्धई वर्तमान पता थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. रामपियारे पुत्र रामनिहोर निवासी ग्राम याहियापुर उम्र करीब 60 वर्ष थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

02. अमर सिंह उर्फ भुन्नी पुत्र बृजलाल सिंह निवासी ग्राम चौपई उम्र करीब 37 वर्ष थाना कन्धई वर्तमान पता थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कंधई के उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह मुख्य आरक्षी ऋषिकेश तिवारी द्वारा अ0स0 94/2021 धारा 504,506, भादवि व धारा 3 (1) द, 3 (1)ध, 3 (2)Va SC/ST एक्ट थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ से सम्बन्धित अभियुक्त 01 नफर वारंटी संदीप वर्मा पुत्र कन्हैया लाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम ताला थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. संदीप वर्मा पुत्र कन्हैया लाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम ताला थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह मुख्य आरक्षी ऋषिकेश तिवारी थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।